पत्रांक–14 / एम 7–81 / 2020 – 403

बिहार सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।
* (द्वारा–आंतरिक वित्तीय सलाहकार)

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पटना, दिनांक 30 / 3 / 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में कार्यरत कर्मियों/पदाधिकारियों के वेतनादि भुगतान के लिए कुल रूपये 2,99,52,000/– (दो करोड़ निन्यानवे लाख बावन हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान वेतन मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू० 2,99,52,000/– (दो करोड़ निन्यानवे लाख बावन हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान वेतन स्वीकृत की गयी है।

2. स्वीकृत की जा रही राशि रू० 2,99,52,000/– (दो करोड़ निन्यानवे लाख बावन हजार रूपये) मात्र व्यय का विकलन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या–21 मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष 004–अनुसंधान, उप शीर्ष–0008 ए०एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना विपत्र कोड 21–2202800040008 के विषय शीर्ष–0008 31.04 सहायक अनुदान–वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से निदेशक, अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना के खाता संख्या–36095103872, IFSC Code SBIN0000152 में उपलब्ध कराया जाएगा।

4. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक) के पत्रांक–टी०एम० 11–877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

5. संस्थान उस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र (CFMS) में (पांच प्रति में) अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ ससमय विभाग को उपलब्ध कराएगा।

6. भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक तथा राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इसके खर्च के लेखा का अंकेक्षण करें।

7. इसकी सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को दी जा रही है।

8. राशि की स्वीकृति वित्त विभाग के पत्रांक संख्या एम04/53/2007–3758/बी० दिनांक 31.05.2017 एवं सं० संख्या–14/एम 7–81/2020 में दिनांक 30.03.2026 के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

9. स्वीकृत राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

10. **स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।**

विश्वासभाजन

ह०/–

(अजीत कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/एम 7–81/2020 – 403 पटना, दिनांक...30/03./2026

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग, (बजट एवं प्रशाखा 06) /निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल उच्च शिक्षा/ उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/निदेशक, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/संबंधित उप निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी– 05, 14, 15 एवं 19 /आई०टी० मैनेजर, उच्च शिक्षा विभाग, पटना को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/3/26

सरकार के उप सचिव